

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:- एफ.3(ख)आर-1340/2013/ अलेसे-III/583

दिनांक:- 05-05-2025

कार्यालय आदेश

श्री रवि शंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II हाल पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका श्रीझुंजरगढ़ को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख) आर-1340/2013/ अलेसे-III/1931-38 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा निलंबित किया जाकर मुख्यालय निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर किया गया था, जिसके विरुद्ध श्री जोगी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-137/2025 दायर की गई। माननीय अधिकरण के द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 17.01.2025 के क्रम में निलंबन आदेश दिनांक 03.01.2025 का क्रियान्वयन आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 17.01.2025 की अनुपालना में श्री रवि शंकर जोगी, सलेअ-II हाल मुख्यालय निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर से पदस्थापन कोषालय, फलौदी कार्यालय में सलेअ-II के रिक्त पद पर में किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3(ख)आर-1340/2013/ अलेसे-III/583

दिनांक:- 05-05-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका श्रीझुंजरगढ़।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री रवि शंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
6. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
7. संयुक्त निदेशक परागर्षी

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)